रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 296] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 6 1974/अग्रहायण 15 1896
No. 296] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 6, 1974/AGRAHAYANA 15, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Library

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 6th December 1974

SUBJECT.—*Emergency Relief Credit of Rs. 100 million extended by the Government of India.*

No. 42-ETC(PN)/74.—In supersession of Public Notice No. 41-ETC(PN)/74, dated the 28th November, 1974, exports under the above mentioned Credit will be allowed from India to Bangla desh in respect of commodities namely, Salt, Pig Iron and Cement which have been mutually agreed upon by the Governments of India and Bangladesh.

2. Exports under this arrangement will be allowed through eligible exporters. The eligible exporter for this purpose will be the State Trading Corporation or any person nominated by the State Trading Corporation and authorised under the law to do business in India and who may be willing to undertake exports of Salt and Cement from India to Bangladesh in terms of the conditions prescribed in this Public Notice, and whose application conforms to the provisions of the Public Notice. In case of Pig Iron the eligible exporters will be M/s. SAIL International Ltd., New Delhi. Export licences/endorsements on shipping bills will be granted to eligible exporters by the Jt. Chief Controller of Imports & Exports, Calcutta. The licensing authority for this purpose will be the Jt. Chief Controller of Imports and Exports, Calcutta even if the exports have to be made from a port other than Calcutta.

3. Before applying for an export licence/endorsement of shipping bill, the intending exporter will be required to negotiate with the eligible importer in Bangladesh holding an import licence or an authorisation to import goods into that country under the Credit mentioned above.

4. All exports under this provision shall be against irrevocable letters of credit. The particulars of the confirmed letters of credit will be sent by the State Bank of India, Chowringhee Branch, Calcutta to the Jt. Chief Controller of Imports and Exports, Calcutta on the basis of which the Jt. Chief Controller of Imports and Exports, Calcutta will consider the application for the grant of export licence/endorsement of shipping bill for exports to Bangladesh in respect of commodity and the value for which the contract has been concluded and the letter of credit established.

5. Export licences issued and the shipping bills endorsed in pursuance of this Public Notice will be stamped as under:—

"Exports against Emergency Relief Credit of Rs. 100 million extended to Bangladesh".

6. The following conditions shall be imposed on the export licences/endorsements of shipping bills:—

(i) the payment in respect of the exports shall be made through the Emergency Relief Credit of Rs. 100 million;

(ii) the goods exported under this licence/shipping bill shall not be re-imported into India.

7. Payments in respect of these exports will be made to the exporter, or their bankers in India by the State Bank of India, Chowringhee Branch, Calcutta on presentation of the necessary documents in accordance with the prescribed procedure.

8. Exports made to Bangladesh, under the provisions of this Public Notice will not qualify for benefits available to exporters under the import policy for registered exporters.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर 1974

विषय.—भारत सरकार द्वारा बढ़ाया गया 10 करोड़ रुपये का आयात सहायता ऋण।

सं० 12—ई०टी०सी० (पी एन)/74.— सार्वजनिक सूचना सं० 41—ई०टी०सी० (पी०एन०) 74, दिनांक 28 नवम्बर, 74 के अधिक्रमण में उपर्युक्त क्रेडिट के अन्तर्गत नमक, कच्चा लोहा एवं सीमेंट जैसी वस्तुओं के संबंध में जिसके लिए भारत एवं बांगला देश की सरकारों के बीच परस्पर सहमति हो चुकी है, भारत से बांगला देश निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी।

2. इस व्यवस्था के अन्तर्गत निर्यातों की स्वीकृति पात्र निर्यातकों के माध्यम से दी जाएगी। इस कार्य के लिए पात्र निर्यातक राज्य व्यापार निगम या जो राज्य व्यापार निगम द्वारा नामित कोई व्यक्ति होगा और वह कानून के अन्तर्गत इस व्यापार को करने के लिए प्राधिकृत होगा और जो इस सार्वजनिक सूचना में निर्धारित शर्तों के अनुसार नमक तथा सीमेंट का भारत से बांगला देश में निर्यात करने के लिए वचन देने के लिए इच्छुक है और जिनके आवेदक की पुष्टि इस सार्वजनिक सूचना की शर्तों से हो जाती है। कच्चे लोहे के मामले में सर्वश्री मेल इन्टरनेशनल लि०, नई दिल्ली पात्र निर्यातक होगा। पात्र निर्यातकों को

निर्यात लाइसेंस/पोतलदान बिलों पर पृष्ठांकन संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात कलकत्ता द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इस कार्य के लिए लाइसेंस प्राधिकारी संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात कलकत्ता इन निर्यातों के मामले में भी होगा जिनका निर्यात कलकत्ता से भिन्न अन्य पत्तन से किया जाएगा ।

3. निर्यात लाइसेंस/पोतलदान बिल पर पृष्ठांकन के लिए आवेदन करने से पूर्व इच्छुक निर्यातक के लिए यह आवश्यक होगा कि वह बांग्ला देश के उस पात्र आयातक से सौदा तय करे कि उपर्युक्त क्रेडिट के अन्तर्गत उस देश में माल का आयात करने के लिए उसके पास आयात लाइसेंस या प्राधिकार है ।

4. इस व्यवस्था के अन्तर्गत सभी निर्यात अपरिवर्तनीय साख-पत्र के महे किए जाएंगे। पुष्ट किए गए साख-पत्र के ब्यौरे भारत के स्टेट बैंक, चौरंगी शाखा, कलकत्ता द्वारा संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, कलकत्ता को भेजे जाएंगे जिसके आधार पर संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, कलकत्ता द्वारा उस पण्यवस्तु और मूल्य के संबंध में जिसके लिए सविदा तय की गई है और साख पत्र की स्थापना की गई है, बांग्ला देश में निर्यातों के लिए निर्यात लाइसेंस/पोतलदान बिल पर पृष्ठांकन के लिए आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा।

5. इस सार्वजनिक सूचना के अनुसरण में जारी किए गए निर्यात लाइसेंसों एवं पृष्ठांकित किए गए पोतलदान बिलों पर निम्न प्रकार से मुहर लगाई जाएगी:—

"बांग्ला देश के लिए बढ़ाए गए 10 करोड़ रुपये के आयात सहायता ऋण के मद्दे निर्यात" ।

6. निर्यात लाइसेंसों/पोतलदानों बिलों पर निम्नलिखित शर्तें लगाई जाएंगी:—

(1) निर्यातों के संबंध में भुगतान 10 करोड़ रुपये के आयात सहायता ऋण के माध्यम से किया जाएगा ।

(2) इस लाइसेंस/पोतलदान बिल के अन्तर्गत निर्यात किए गए माल का भारत में पुन आयात नहीं किया जाएगा ।

7. इन निर्यातों के संबंध में भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण पर भारत के स्टेट बैंक चौरंगी शाखा, कलकत्ता द्वारा किए जाएंगे ।

8. इस सार्वजनिक सूचना की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत बांग्ला देश को किए गए निर्यात पर्याप्त निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत निर्यातकों को उपलब्ध होने वाले लाभों के लिए अहर्क नहीं होंगे ।

वी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974